

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2026—माघ 3, शक 1947

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2026

क्र.-3-3-4-0004-2025- Sec-1-आठ (TRP).—मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को, मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) की अनुसूची के अनुक्रमांक 11 में उल्लिखित मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के प्रवृत्त होने के लिए तारीख के रूप में नियत करती है.

No.3-3-4-0004-2025- Sec-1-VIII(TRP).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2025 (No. 15 of 2025), the State Government, hereby, appoints the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, to be the date for enforcement of the provisions specified in column (5) of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), mentioned at Serial Number 11 of the Schedule of the Madhya Pradesh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2025 (No. 15 of 2025).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष सिंह, सचिव.